P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-6* February- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

भारतीय राजनीति में आचार संहिता

सारांश

हमारा राष्ट्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और चुनाव लोकतंत्र में पर्व है। चुनाव जनता के लिये अन्तिम हथियार है जिसके सहारे जनता न केवल सत्ता परिवर्तन करती है बल्कि प्रतिनिधियों तथा शासकों पर अंकुश भी लगाती है। चुनाव के समय ही सम्प्रभुता का वास जनता में होने की संकल्पना मूर्त रूप ले पाती है। जनसामान्य को अपनी शक्ति दिखाने और मनपसंद सरकार बनाने का एक अवसर मिलता है। निःसन्देह प्रत्येक चुनाव लोकनिष्ठा का प्रतीक होता है। परन्तु चुनावों में नेतृत्व वर्ग द्वारा नैतिकता का पतन करते हुए देखा जाता है।

चुनाव आचार संहिता भारतीय राजनीति में नेतृत्व को नैतिकता के मार्ग पर अग्रसर करती है। चुनाव आचार संहिता का मतलब चुनाव आयोग के वे निर्देश हैं जिनका पालन चुनाव खत्म होने तक हर पार्टी एवं उम्मीदवार को करना होता है। आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया को नैतिकता प्रदान करती है। राजनीतिक दल व उसके कार्यकर्ता निर्वाचन प्रक्रिया में इन नियमों का पालन करते है । कोई भी संहिता आचार के नैतिक नियम होते है। निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन एक सुदृढ लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिये अनिवार्य होते है।

कौशल कुमार सैन
सहायक आचार्य,
राजनीति विज्ञान विभाग,
बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय,
अलवर, राजस्थान, भारत

मुख्य शब्द : सम्प्रभुता, निर्वाचन, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, निष्पक्षता, संवैधानिक, संहिता, नेतृत्व, संकल्पना, मूर्तरूप, वयस्कमताधिकार, परिवर्ती भूमिका।

प्रस्तावना

भारतीय लोकतंत्र को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। वर्ष 1952 में वयस्क मताधिकार के आधार पर देश में सम्पन्न हुए पहले आम चुनाव के साथ हमारे देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरूआत हुई और नित नई सफलताओं के साथ भारतीय लोकतंत्र अब तक 6 दशक से भी ज्यादा का सफर तय कर चुका है।

यदि लोकतंत्र के शाब्दिक अर्थ पर गौर करें तो विदित होता है कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता की सत्ता होती है। यह एक ऐसा शासन है जिसमें लोगों को राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी अधिकारों की समानता दी जाती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव किस भाँति होते है, चुनाव कितने निष्पक्ष होते है और आम मतदाता का निर्वाचन व्यवस्था का संचालन करने वाले अभिकरण की निष्पक्षता और ईमानदारी पर कितना विश्वास है।

भारत के संविधान निर्माता चुनावों के महत्त्व से परिचित थे और इसलिए भारतीय संविधान में उन्होंने एक ऐसे संवैधानिक आयोग की स्थापना की जिसका प्रमुख कार्य सम्पूर्ण देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा व राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों का निर्वाचन सम्पन्न कराना है। जिसे चुनाव आयोग के नाम से जाना जाता है। इसके लिये अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 324 के अन्तर्गत एक चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा निर्मित विधि के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होगा। अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो तक होगा।

सन् 1951 से 1990 तक चुनाव आयोग ने मर्यादित भूमिका का निर्वाह किया। लेकिन 1991 से आज तक चुनाव आयोग ने अपनी परिवर्ती भूमिका का परिचय दिया है। अब लोकसभा एवं विधानसभा के सभी उम्मीदवारों को ये निर्देश दिये गये हैं कि वे अपना चुनाव खर्च निश्चित प्रारूप में प्रस्तुत करें।

चुनावों के दौरान सार्वजनिक एवं निजी भवनों की दीवारों को गंदा नहीं किया जा सकेगा। कोई भी मंत्री नवीन योजनाओं की घोषणा नहीं करेगा। मतदाताओं को ''पहचान–पत्र'' दिये गये हैं । चुनाव आयोग और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2003 में यह व्यवस्था की गई कि लोकसभा या विधानसभा के सभी उम्मीदवारों को अपने नामांकन पत्र के साथ एक शपथ–पत्र पर अपनी शिक्षा, सम्पत्ति एवं अपराधिक रिकॉर्ड के सम्बन्ध में समस्त विवरण प्रस्तुत करना होगा।

अगर कोई उम्मीदवार इन नियमों का पालन नहीं करता है तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है उसे चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है, उम्मीदवार के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज हो सकती है और दोषी पाये जाने पर उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही वहाँ चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है। चुनाव आचार संहिता लागू होते ही सरकार और प्रशासन पर कई अंकुश लग जाते है। सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक निर्वाचन आयोग के कर्मचारी बन जाते है। वे आयोग के दिशा–निर्देश पर काम करते हैं। चुनाव आचार संहिता की अवधि में कोई भी मुख्य मंत्री या मंत्री कोई घोषणा, शिलान्यास, लोकार्पण नहीं कर सकेगा। सरकारी खर्च से ऐसा कोई आयोजन नहीं होगा जिससे किसी दल विशेष को लाभ पहुँचता हों।

इसलिये आचार संहिता के सामान्य नियम बनाये जाते हैं। जैसे :–

1. कोई भी दल ऐसा काम न करे जिससे जातियों और धार्मिक एवं भाषाई समुदायों के बीच मतभेद बढ़े या घृणा फैले।
2. राजनीतिक दलों की आलोचना कार्यक्रम व नीतियों तक सीमित हो, न कि व्यक्तिगत।
3. धार्मिक स्थानों का उपयोग चुनाव प्रचार मंच के रूप में नहीं किया जाना चाहिये।
4. मत पाने के लिये भ्रष्ट आचरण का उपयोग न करें।
5. किसी की अनुमति के बिना उसकी दीवार, अहाते या भूमि का उपयोग न करें।
6. किसी दल की सभा या जुलुस में बाधा न डाले।
7. राजनीतिक दल ऐसी कोई भी अपील जारी नहीं करेगा जिससे किसी की जातीय एवं धार्मिक भावनाएं आहत होती है।

शोध विषय के उद्देश्य (Objective of research study)

प्रस्तुत शोध का मुख्य लक्ष्य भारतीय राजनीति में नेता और उनके नेतृत्व तथा भारतीय राजनीति में नैतिकता की स्थापना में आचार संहिता की भूमिका का मूल्यांकन करना है। यह शोध सक्रिय एवं पारदर्शी चुनावों हेतु सिद्धान्त निर्माण का विनम्र प्रयास है। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं :–

1. वर्तमान में भारतीय लोकतंत्र में आदर्श आचार संहिता की प्रकृति, स्वरूप एवं बदलती भूमिका का विश्लेषण करना।
2. आचार संहिता की अवधि में नेतृत्व वर्ग के व्यवहार एवं उनके मतदान संबंधी मानदण्डों का राजनतिक दृष्टि से अध्ययन करना।
(3) भारतीय चुनावी राजनीति में बदलते प्रतिमानों पर आदर्श आचार संहिता के पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना।
4. भारतीय लोकतंत्र एवं आदर्श आचार संहिता के आपसी संबंधों का वर्तमान प्ररिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करना।
5. वर्तमान में चुनावों में आदर्श आचार संहिता के पालन में आने वाली कठिनाईयों को जानना।
6. निष्पक्ष, पारदर्शी निर्वाचन में आदर्श आचार संहिता की भूमिका का अध्ययन करना।

साहित्यावलोकन (Review of Literature)

जोंस मोरिश 'द गवर्नमेन्ट एण्ड पॉलिटिक्स इन इण्डिया', दा इयोथन प्रेस, न्यूजीलेण्ड, 1964

प्रस्तुत पुस्तक में मोरिश जोंस ने भारतीय सरकार के कामकाज और राजनीति को आधार बनाकर जो बातें इस किताब में लिखी हैं वे बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। आज हम सरकार एवं राजनीति के चरित्र पर सतही बातें करते हैं। जबकि उक्त पुस्तक हमारी सरकार और उसकी कार्य प्रणाली के बारे में गम्भीर ज्ञान प्रस्तुत करती है।

एम.बैंकट रमैया तथा राय रेड्डी जी, ' पंचायत राज इन ऑन्ध्रप्रदेश' स्टेट चेम्बर ऑफ पंचायती राज, हैदराबाद, 1967

पुस्तक में लेखक ने ऑन्ध्रप्रदेश में पंचायती राज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का वर्णन किया है। इन संस्थाओं की बेहतरी के लिये गठित विभिन्न समितियों की अनुशंसाओं की विवेचना भी की है। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय, प्रशासनिक और राजनीतिक समस्याओं का विश्लेषण भी किया है।

कोठारी रजनी 'कास्ट इन इण्डियन पॉलिटिक्स' ओरियण्ट लोंगमन प्रा. लि., हैदराबाद, 1970

प्रस्तुत किताब में रजनी कोठारी ने बताया है कि भारतीय राजनीति में जातिवाद की भी अहम भूमिका है। जाति का राजनीतिकरण हो चुका है और राजनीति स्वयं जातिगत आधार पर निर्मित होती जा रही है। चुनावों में जातिवाद और सम्प्रदायवाद का खुलेआम प्रयोग होता है।

चक्रवर्ती के. एवं भट्टाचार्य एस.के, 'लीडरशिप फैक्संस एवं पंचायती राज' रावत पब्लिकेशन, जयपुर 1993

पुस्तक में राजनीतिक समाजशास्त्र पर आधारित अपने सूक्ष्म अध्ययन में नेतृत्व, गुटबन्दी एवं पंचायतीराज को व्याख्यायित किया गया है। अपने अध्ययन में इन्होंने ग्रामीण शक्ति संरचना के साथ जाति एवं वर्गका ग्रामीण राजनीति से सम्बन्ध स्थापित करते हुए ग्रामीण नेतृत्व की विवेचना की है।

पायली एम. वी. ''भारतीय संविधान– एक परिचय'' विकास पब्लिकेशन हाऊस, प्रथम हिन्दी संस्करण, 1996

प्रो. एम.वी. पायली ने अपनी पुस्तक में एक अध्याय निर्वाचन को समर्पित किया है। जिसमें उन्होंने

अनुच्छेद 324 से 329 तक का उल्लेख किया है। अनुच्छेद 324 भारत के लिये निर्वाचन आयोग की व्यवस्था करेगा।

मल पूरण 'पंचायती राज एवं दलित नेतृत्व', आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर 2004

प्रस्तुत पुस्तक में डॉ. पूरणमल ने पंचायती राज संस्थाओं में दलित वर्ग के नेतृत्व के समक्ष आने वाली प्रमुख समस्याओं एवं उनके निराकरण के उपायों पर चर्चा की है। पुस्तक में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण पर विशद विवेचन किया है।

शोखावत भैरोंसिंह, 'आम आदमी और लोकतंत्र', प्रभात प्रकाशन,नई दिल्ली, 2009

श्री भैरोंसिंह शेखावत ने प्रस्तुत पुस्तक में लोतंत्र का पाँचवा स्तम्भ गरीब आदमी को बताया है। यह स्तम्भ इतना शक्तिशाली है कि यह सत्ता को ही बदल डालता है। यह भाषण से संतुष्ठ नहीं होता है यह तभी संतुष्ट होता है जबतक इसके पेट में दो रोटी नहीं पहुँच जाती है।

राजपूत बृजेश, 'चुनाव, राजनीति और रिपोर्टिंग', शिवना प्रकाशन सिहोर, 2013

इस पुस्तक में लेखक ने पत्रकारिता को एक नई शैली प्रदान की है। यह पुस्तक भारतीय राजनीति, चुनाव एवं पत्रकारिता का एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है। इस पुस्तक में मध्यप्रदेश के विधानसभा चुनावों से सम्बन्धित विश्लेषण, चुनावी आँकडे और चुनावी राजनीति के बारे में बारीकी से बताया गया है।

कुमार विनीत, 'मंडी में मीडिया', वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2014

यह किताब लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहे जाने वाले मीडिया का भ्रम दूर करती है। किताब में मीडिया की नैतिकता के बारे में बताया गया है।

मिश्र रविन्द्र नाथ, 'मीडिया और लोकतंत्र', वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2014

प्रस्तुत पुस्तक में बताया गया है कि चुनाव लोकतंत्र का अहम हिस्सा है। बिना चुनाव के कोई भी लोकतंत्र नहीं रह सकता है। लोकतंत्र में चुनाव और चुनावों में मीडिया की भूमिका काफी महत्त्वपूर्ण होती है। इस पुस्तक में चुनावों में जनता की आवाज को समाहित किया गया है।

परिकल्पना (Hypotheses)

नेता, नेतृत्व और नैतिकता के उत्थान में आदर्श आचार संहिता की भूमिका को परीक्षित करने हेतु निम्न प्राकल्पनाएं प्रयुक्त है :–

1. चुनाव प्रणाली मूल्यों के हनन एवं अनैतिकता के वरण की शिकार है।
2. आदर्श आचार संहिता के अनुसार आज चुनाव निष्पक्ष एवं पारदर्शी होते हैं।
3. आदर्श आचार संहिता धनबल एवं बाहुबल की समस्या को रोकने में बहुत कुछ सीमा तक सफल है।
4. आदर्श आचार संहिता मतदान के गिरते प्रतिशत को बढ़ाने में योगदान देती है।
5. आदर्श आचार संहिता ने भयभीत मतदाताओं में दृढ विश्वास जागृत किया है।
6. आदर्श आचार संहिता चुनावों में नकारात्मक तत्वों के समावेश पर रोक लगाती है।
7. भारतीय लोकतंत्र की सुदृडता में आदर्श आचार संहिता अपना योगदान देती है।

अनुसंधान पद्धति एवं अध्ययन क्षेत्र (Research Methodology of Area by Study)

अध्ययन में प्रयुक्त तथ्य संकलन के स्रोत का विवरण अग्रानुसार है –

प्राथमिक तथ्य

(अ) व्यक्तिगत प्रेक्षण (ब) साक्षात्कार
(स) प्रष्नावली (द) अनुसूची
(य) अन्य विधियां

द्वितीयक आंकडे

द्वितीयक आंकड़े तथ्य संकलन के द्वितीयक स्रोतों में राजनीति एवं युवा वर्ग तथा इनसे संबंधित विभिन्न प्रकार के विषय से सम्बन्धित विभिन्न पुस्तकों, शोध जर्नल, शासकीय एवं अशासकीय प्रकाशन और समाचार पत्र पत्रिकाओं एवं उपलब्ध साहित्य एवं प्रतिवेदनों आदि से जुटाए गए दस्तावेज आदि का प्रयोग किया गया, ताकि शोध को पर्याप्त आगत मिल सकें।

अनुसन्धान में तथ्य संकलन एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है, किन्तु मात्र संकलन से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा सकती। अतः सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य यह है कि तथ्यों को सुव्यवस्थित करके उनका विश्लेषण किया जाए। अध्ययन में तथ्य विश्लेषण एवं तथ्यों के प्रस्तुतीकरण में समाज वैज्ञानिक रूप से महत्त्वपूर्ण प्रणालियों वर्गीकरण, सारणीयन, सांख्यिकी विश्लेषण आदि का प्रयोग किया गया। प्रस्तुत शोध में व्यावहारिक एवं अनुभवात्मक –विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया जायेगा। अध्ययन में स्पष्टता एवं प्रमाणिकता लाने के लिये सूचनाओं का संकलन प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों के माध्यम से किया जायेगा।

प्राथमिक तथ्यों का संकलन अध्ययन क्षेत्र के अवलोकन व निदर्शन सर्वेक्षण, वेबसाइट, सरकारी दस्तावेज, रिपोर्ट्स के माध्यम से किया जायेगा। द्वितीयक स्त्रोत– संदर्भ पुस्तक, समाचार पत्र, जर्नल्स में प्रकाशित पत्र एवं विविध अकादमिक शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध पत्रों द्वारा द्वितीयक स्त्रोतों को संकलित किया जायेगा। आनुभाविक पद्धति द्वारा प्रदत्त तथ्यों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जायेगा। शोध के अन्तर्गत अवलोकन, अनुसूची एवं साक्षात्कार जैसी तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा। सर्वप्रथम आचार संहिता की कार्य प्रणाली, प्रशासन के व्यवहार, जनता एवं नेतृत्व वर्ग पर प्रभाव आदि का निष्पक्ष रूप से अवलोकन किया जायेगा। साथ ही क्षेत्रीय नेताओं का साक्षात्कार, अनुसूची एवं प्रश्नावली का प्रयोग किया जायेगा। मेरे अध्ययन का क्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान रहेगा।

सम्बन्धित साहित्य से तात्पर्य शोध की समस्या से संबंधित उन सभी प्रकार की पत्र पत्रिकाओं, अभिलेखों, ज्ञानकोषों, प्रकाशित या अप्रकाशित शोध से है जिनके अध्ययन से शोधकर्ता को अपनी समस्या के निर्धारण व

उसकी रूपरेखा निर्मित करने एवं कार्य करने व कार्य को आगे बढाने में सहायता मिलती है। ''मैंने भारतीय राजनीति में आचार संहिता : नेता, नेतृत्व एवं नैतिकता'' विषय का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया है। मैंने मातृभाषा व राष्ट्रभाष हिन्दी को अपना माध्यम बनाया है।

शोध से प्राप्त परिणाम

आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा निर्मित दि दिशानिर्देशों का समूह है, इसका उद्देश्य राजनीतिक दलों तथा उनके उम्मीदवारों की गतिविधियों का नियमन करना है। इसके द्वारा मुक्त व निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किये जाते हैं। आचार संहिता का कोई संवैधानिक आधार नहीं है न ही इसे कानून द्वारा लागू किया जा सकता है। परन्तु इसकी वैधता निर्विवाद है और सभी राजनीतिक दल इसका पालन करते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र के आधार हैं। इसमें मतदाताओं के बीच अपनी नीतियों तथा कार्यक्रमों को रखने के लिए सभी उम्मीदवारों तथा सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर और बराबरी का स्तर प्रदान किया जाता है। इस संदर्भ में आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों के लिए बराबरी का समान स्तर उपलब्ध कराना प्रचार अभियान को निष्पक्ष तथा स्वस्थ्य रखना, दलों के बीच झगड़ों तथा विवादों को टालना है।

आदर्श आचार संहिता का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि सत्ता पक्ष अपनी शक्तियों का उपयोग करके चुनावों को अपने पक्ष में करने का प्रयास न करे।यह आचार संहिता सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, पोलिंग एजेंटों, सत्ता पक्ष तथा सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है। सर्वप्रथम आदर्श आचार संहिता के पहले संस्करण को 1960 में केरल विधानसभा चुनावों के दौरान लागू किया गया था। इन दिशानिर्देशों का पालन 1962 के लोकसभा चुनावों के दौरान सभी राजनीतिक दलों द्वारा किया गया। 1979 में भारतीय चुनाव आयोग ने सत्ताधारी दल की शक्ति को रेगुलेट करने तथा इसे चुनाव के दौरान लाभ उठाने से रोकने के लिए के लिए एक सेक्शन जोड़ा। आदर्श आचार संहिता चुनाव तिथि की घोषणा के साथ ही लागू हो जाती है। इसका निश्चय 16 अप्रैल, 2001 में केंद्र सरकार तथा चुनाव आयोग के बीच हुए समझौते के द्वारा किया गया था। इस समझौते में निश्चित किया गया था कि आचार संहिता के दौरान किसी भी परियोजना का उद्घाटन सिविल सर्वेंट द्वारा ही किया जायेगा।

आदर्श आचार संहिता भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिये बनायी गयी है जिसका पालन चुनाव के समय हर राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिए अति आवश्यक है। इस दौरान न तो कोई नई योजना की घोषणा की जा सकेगी और ना ही कोई शिलान्यास, लोकार्पण या भूमिपूजन करने की अनुमति होती है। सरकारी खर्च से ऐसा कोई भी आयोजन नहीं किया जा सकता जिससे सत्ता पक्ष या किस भी पक्ष को कोई फायदा पहुंचे। राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए निर्वाचन आयोग पर्यवेक्षक नियुक्त करता हैं ताकि राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों द्वारा कोई ऐसा काम नहीं किया जाये जो चुनाव आचार संहिता के विपरीत हो। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही वहां आचार संहिता भी लागू हो जाती हैं, किन्तु कोई उम्मीदवार आचार संहिता का पालन नहीं करता तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, उसे चुनाव में भाग लेने से रोक जा सकता है, उम्मीदवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है और दोषी पाए जाने पर उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। सरकार के कर्मचारी निर्वाचन आयोग के कर्मचारी बन जाते हैं, और ये कर्मचारी अब निर्वाचन आयोग के अधीन काम करेंगे।

राजनीतिक पार्टी या प्रत्याशी को इस बात का खयाल रखना होता है कि किसी भी स्तर पर मतभेद को बढ़ावा ना मिले अर्थात अपने प्रतिद्वंदी राजनीतिक पार्टी या प्रत्याशी पर निजी हमले नहीं किए जाए। मर्यादित भाषा में प्रतिद्वंदियों की नीतियों की आलोचना की जा सकती है। किसी भी स्थिति में जाति या धर्म आधारित अपील नहीं की जा सकती है। मस्जिद, चर्च, मंदिर या दूसरे धार्मिक स्थल का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के मंच के तौर पर नहीं किया जा सकता है। वोटरों को रिश्वत देकर, या डरा–धमकाकर वोट नहीं मांग सकते हैं। वोटिंग के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में वोटर की कन्वैसिंग करने की मनाही होती है। मतदान के 48 घंटे पहले पब्लिक मीटिंग करने की मनाही होती है। मतदान केंद्र पर वोटरों को लाने के लिए गाड़ी मुहैया नहीं करा सकते हैं।

चुनाव प्रचार के दौरान आम लोगों की निजता या व्यक्तित्व का सम्मान करना अपेक्षित है। अगर किसी शख्स की राय किसी पार्टी या प्रत्याशी के खिलाफ है तो उसके घर के बाहर किसी भी स्थिति में धरने की इजाजत नहीं है। प्रत्याशी या राजनीतिक पार्टी किसी निजी व्यक्ति की जमीन, बिल्डिंग, कम्पाऊंड वाल का इस्तेमाल बिना इजाजत के नहीं कर सकते हैं। राजनीतिक पार्टियों को यह सुनिश्चित करना है कि उनके कार्यकर्ता दूसरी राजनीतिक पार्टियों की रैली में कहीं कोई बाधा या रुकावट नहीं डाले। जब भी किसी राजनीतिक पार्टी या प्रत्याशी को कोई सभा या मीटिंग करनी होगी तो उसे स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी देनी होगी। पुलिस प्रशासन से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही वह सभा कर सकेगा। अगर इलाके में किसी तरह की निषेधाज्ञा लागू है तो इससे छूट पाने के लिए पुलिस को पहले जानकारी दें और अनुमति लें। लाऊड स्पीकर या दूसरे यंत्र या सामान के इस्तेमाल के लिए इजाजत लें। राजनीतिक पार्टी या प्रत्याशी जुलूस निकाल सकते हैं,लेकिन इसके लिए उन्हें इजाजत लेनी होगी।

आचार संहिता दौरान सत्ताधारी दल के लिए सख्त नियम है कि वह चुनाव प्रचार के लिए शासकीय वाहनों का उपयोग ना करे और ना किसी प्रकार से शासकीय मिशनरी का उपयोग करे। किसी भी स्थिति में सरकारी दौरे को चुनाव के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। आचार संहिता में उल्लेख है कि शासकीय सेवक किसी भी अभ्यर्थी के निर्वाचन, मतदाता या गणना एजेंट नहीं बनेंगे। मंत्री के प्रवास के दौरान निजी आवास में ठहरने की स्थिति में अधिकारी उनसे मिलने नहीं जा

सकते हैं तथा चुनाव कार्य से जाने वाले मंत्रियों के साथ नहीं जाएंगे। आचार संहिता केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें, सभी सरकारों पर प्रभावशील होगी और उन्हें उल्लेखित निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

निर्वाचन कानून में परिवर्तन कर आचार संहिता को वैधानिक दर्जा प्रदान किए जाने की अत्यंत आवश्यकता है। आचरण संहिता के उल्लंघन को भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन अपराध घोषित किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं आयोग को भी इसकी क्रियान्विति में अड़चन डालने वाले व्यक्तियों या राजनीतिक दलों को दंडित करने का भी अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। यह अधिकार आयोग तथा उसकी राज्य स्तरीय मशीनरी एवं पर्यवेक्षकों को प्रदान किया जाना चाहिए ताकि आयोग स्वच्छ और स्वतंत्र निर्वाचन करवा सके। ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें किसी अपराध के लिए न्यायालय से सजा हो चुकी है, उन्हें निर्वाचन में संघर्ष की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। राजनेताओं का जीवन सार्वजनिक होता है इसलिए उन्हें अपराध प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों से संपर्क नहीं रखना चाहिए। राजनीतिक दलों द्वारा निर्वाचन आयोग को अपने कार्यकलापों के लिए सामयिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए । विधि विरुद्ध कार्रवाई करने पर राजनेताओं को निर्वाचन में भाग लेने से रोक लगानी चाहिए। आचार संहिता के प्रभावी पालन के लिए आवश्यक है कि राजनेताओं को आरोप–प्रत्यारोप की राजनीति से बचना चाहिए । मतदाताओं की मतदान के प्रति उदासीनता को समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि अब मतदान को अनिवार्य घोषित किया जाना चाहिए। इसके लिए संसद को विधि का निर्माण करना चाहिए क्योंकि विश्व के अनेक देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था है जैसे बेल्जियम ,नीदरलैंड ,ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा आदि।

यह देखा गया है कि निर्वाचन में अभ्यर्थी मतदाताओं को लुभाने के लिए झूठे आश्वासन देते रहते हैं इससे जनता गुमराह होती है। चुनाव जीतने के बाद वे मतदाताओं की कोई खोज खबर नहीं लेते। ऐसे प्रतिनिधि के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए प्रत्यावर्तन की व्यवस्था होनी चाहिए। भारत में किसी राजनीतिक दल द्वारा किया गया अनुचित आचरण केवल आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी मानने तक सीमित है ।दल को भ्रष्ट आचरण पर एक पक्ष बनाकर उसके विरुद्ध भी वैसी ही कार्यवाही होनी चाहिए जैसे व्यक्ति विशेष के विरुद्ध होती है।आचार संहिता के प्रभावी पालन के लिए आवश्यक है कि समग्र राजनीतिक सुधार किया जाना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र में निर्वाचन एक साध्य नहीं है अपितु लोकतंत्र एवं संवैधानिक शासन के उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक साधन है। एक राजनीतिक व्यवस्था को दुष्प्रभावित करने वाले अन्य साधनों को जब तक नहीं सुधारा जाएगा तब तक किसी भी प्रकार की निर्वाचन संहिता स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन का वातावरण देने में इतनी प्रभावी नहीं होगी।

निष्कर्ष

स्वस्थ्य लोकतंत्र की स्थापना में स्वतंत्र निर्वाचन की महती भूमिका होती है और स्वतंत्र निर्वाचन के लिये निष्पक्ष मतदान एवं व्यवहार आवष्यक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का मताधिकार उस देष के गौरव में भागीदारी होता है। इसलिये प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने इस मताधिकार का प्रयोग स्वतंत्र रूप से करे। हमारे देष में अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों के लिये एक आदर्ष आचार संहिता का निर्माण किया गया है। आदर्ष आचार संहिता को कोई कानूनी सहारा नहीं है और इसके उपबंध वैधानिक तौर पर प्रवर्तनीय नहीं है, किन्तु अनुच्छेद 324 के अधीन स्थापित चुनाव आयोग संसद एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचनों में अधीक्षण एवं निर्वाचन कर्तव्यों के निर्वहन में आदर्ष आचार संहिता की अनुपालना सुनिष्चित कराता है। जब–जब अभ्यर्थियों या राजनीतिक दलों द्वारा आदर्ष आचार संहिता का उल्लंघन किया है तब तब चुनाव आयोग ने अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वाह किया है। अपनी प्रभावी भूमिका में आयोग ने निर्वाचनों में चुनाव सामग्री ,अनियंत्रित लाउडस्पीकर, धन–बल की राजनीति, मतदान केन्द्रों पर कब्जा जैसी घटनाओं को काफी हद तक नियंत्रित किया है, लेकिन अभी भी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों की दिषा में कई महत्वपूर्ण उपाय जैसे सोषन मीडिया का दुरूपयोग रोकना, अपराधियों के निर्वाचन पर रोक, प्रत्याषियों द्वारा आरोप–प्रत्यारोप की राजनीति को रोकना, ह्टैप्स् एप का प्रभावी उपयोग जीपीएस द्वारा चुनावी अधिकारियों की लोकेषन आदि किया जाना आवष्यक हैं।

सुझाव

1. राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का ध्यान रखना चाहिये।
2. सभी राजनीतिक दल षांतिपूर्ण अपना चुनाव प्रचार सम्पादित करें।
3. मतयाचना की सामान्य अपील की जाये, किसी भी प्रकार का विरोधी बयान न दिया जाये।
4. षांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष वातावरण के निर्माण के लिये हर संभव प्रयास राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा किया जाये।
5. सभी अभ्यर्थियों एवं राजनीतिक दलों को भ्रष्ट आचरण से बचना चाहिये।
6. सभी दलों एवं अभ्यार्थियों को चुनावी कार्यक्रम में लगे सभी सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आचार संहिता के पालन में सहयोग करना चाहिए।
7. दलों एवं अभ्यर्थी को अपने चुनावी अभियान में पुलिस प्रषासन का समुचित सहयोग लिया जाना चाहिए।
8. निर्वाचन कार्यक्रमों में संलग्न मतदान कार्मिक किसी भी प्रकार का आतिथ्य स्वीकार न करें, इसके लिए मतदान केन्द्रों पर आयोग उनके खानपान की व्यवस्था स्वयं करें।
9. मतदान दलों का निर्माण इस प्रकार किया जाये जिनमें अलग–अलग विभाग के कर्मचारियों का मिश्रण किया जाये।
10. मतदान कार्मिक निष्पक्ष रहने के साथ निष्पक्ष दिखाई भी देने चाहिये। यदि ऐसा नहीं है तो चुनाव आयोग द्वारा उसे तुरन्त निलम्बित किया जाना चाहिये।

11. निर्वाचन कर्तव्य के दौरान यदि कोई कर्मचारी हताहत हो जाये या उसकी मृत्यु हो जाये तो उसके परिवार को उपयुक्त क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए।
12. राज्य सरकारों द्वारा मतदान कार्मिकों के बीमे की व्यवस्था करनी चाहिये।
13. निर्वाचक नामावली से जुड़े कार्मिकों का स्थानान्तरण यदि कोई चुनाव पास है तो नहीं किया जाना चाहिये।
14. जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध चुनाव आयोग की कार्यवाही अपेक्षित है उन्हें निर्वाचन कार्य से दूर रखना चाहिए।
15. आदर्ष आचार संहिता के पालन के लिए आवष्यक है कि अभ्यर्थियों के कियाकलापों की वीडियोग्राफी कराई जाये।
16. अभ्यर्थियों के वाहनों की संख्या को नियंत्रित किया जाना चाहिये।
17. सत्ताधारी दल चुनाव प्रचार के दौरान अपनी षासकीय हैसियत का उपयोग नहीं करें। साथ ही सरकारी वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिये।
18. जब आदर्ष आचार संहिता लागू हो तब राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की रिहायत की घोषणा नहीं करनी चाहिये।
19. किसी भी अभ्यर्थी द्वारा षपथपत्र में मिथ्या सूचना नहीं दी जानी चाहिए।
20. ऐसे व्यक्तियों को उन निर्वाचन क्षेत्रों से चला जाना चाहिये जहां के वे मतदाता नहीं हैं।
21. अभ्यर्थियों के चुनावी काफिले को नियंत्रित किया जाना चाहिये।
22. चुनाव आचार संहिता के दौरान मोबाइल पर आपत्तिजनक मैसेज नहीं भेजे जायें।
23. पेड न्यूज को रोके जाने का प्रयास होना चाहिये।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (Biblography)

अम्बेडकर, बी.आर. : अनटचेबल्स–हू आर द एंड व्हाई द बिकम अनटचेबल्स, न्यू देहली, अमृत बुक कम्पनी, 1948.

अम्बेडकर, बी.आर.: हिन्दुत्व का दर्शन, मोहनदास नैमिसराय (अनु.) अलीगढ़, अनन्द साहित्य सदन, 1991.

उम्मन, एम.ए. तथा दत्ता, अभिजीत : पंचायत राज एंड देअर फाइनैंस, नई दिल्ली, कन्सेप्ट पब्लिशिंग, 1995.

कपाड़िया, के.एम. : मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, बॉम्बे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1958.

कोठारी, रजनी : पॉलिटिक्स इन इण्डिया, नई दिल्ली, ओरियेन्ट लांगमैन, 1956.

गहलोत, सुखबीर सिंह : राजस्थान पंचायती राज कानून, जयपुर, यूनिक ट्रेडर्स, 2000.

गोड, के.के. : भारत में ग्रामीण नेतृत्व का उदीयमान स्वरूप, नई दिल्ली, मानक पब्लिकेशन्स, 1997.

घूर्ये, जी.एस. : कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, बॉम्बे, पापूलर प्रकाशन, 1961.

चटर्जी, एस.के.: द शिड्यूल्ड कास्ट इन इण्डिया, नई दिल्ली, ज्ञान पब्लिशिंग हाऊस, 1995.

चक्रवर्ती, के. तथा भट्टाचार्य, एस.के. : लीडरशिप फ्रैक्शंस एंड पंचायती राज्य, जयपुर, रावत पब्लिकेशंस, 1994.

जोशी, आर.पी. : कॉस्टीट्यूशनलाइजेशन, ऑफ पंचायती राज, जयपुर, रावत पब्लिकेशंस, 1997.

जैन, पी.सी., भटनागर, एस. तथा जैन, शशिः शिड्यूल्ड कास्ट वूमन, जयपुर, रावत पब्लिकेशंस, 1997.

जोशी, आर.पी. तथा मंगलानी, रूपा (सं.): पंचायती राज के नवीन आयाम, जयपुर, युनिवर्सिटी बुक हाऊस, 2000.

दरसानकर, ए.आर. : लीडरशिप इन पंचायत राज, जयपुर पंचशील प्रकाशन, 1979.

पांडे, राम : पंचायती राज, जयपुर, जयपुर पब्लिशिंग हाऊस, 1989.

पटवर्धन, सुनन्दा : चेंज अमांग इण्डियाज हरिजन्स, महाराष्ट्र–ए केस स्टडी, नई दिल्ली, ओरियेन्ट लांगमैन, 1973.

पूरणमल : अस्पृश्यता एवं दलित चेतना, जयपुर, पोइन्टर पब्लिशर्स, 1999.

भट्ट, जी.डी. : इमर्जिंग लीडरशिप पैटर्न इन रूरल इंडिया, नई दिल्ली, एम.डी. पब्लिकेशन्स, 1994.

भार्गव, बी.एस.: पंचायत राज सिस्टम एंड पॉलिटिकल पार्टीज, नई दिल्ली, आशीष पब्लिशिंग हाऊस, 1979.

मिश्रा, नन्दलाल : नयी पंचायत राज व्यवस्था और ग्रामीण विकास, आगरा, बी.एस. शर्मा एंड ब्रदर्स, 2001.

रामप्यारे : हरिजन युवकों का राजनीतिक समाजीकरण, नई दिल्ली, मित्तल पब्लिकेश्न्स, 1991.

राय, रामाश्रय तथा सिंह, वी.बी.: ए स्टडी ऑफ हरिजन इलिट, देही, डिस्कवरी पब्लिशिंग हाऊस, 1987.

लीन्व, ओ.एम.: द पॉलिटिक्स ऑफ अन्टचेबिल्टी, न्यूयार्क, कोलम्बिया यूनिवर्सिटी प्रेस, 1969.

वाजपेयी, अशोक : पंचायत राज एंड रूरल डवलपमैंट, नई दिल्ली, साहित्य प्रकाशन, 1997.

वैंकटरमैया, एम. तथा रामरेड्डी, जी.: पंचायत राज इन आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद, स्टेट चैम्बर ऑफ पंचायत राज, 1967.

विद्यार्थी, एल.पी. तथा मिश्रा,एन. : हरिजन टुडे, नई दिल्ली, प्रेन्टिक हाल ऑफ इंडिया प्रा.लि., 1977.

सिंह, एम.के. : प्राचीन भारत में पंचायत राज के तत्व, बीना, आदित्य पब्लिशर्स, 2000.

शर्मा, श्रीनाथ तथा सिंह, एम.के.: पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, बीना आदित्य पब्लिशर्स, 2000.

सिवन्ना, एन. : पंचायत राज रिफॉर्मस एंड रूरल डवलपमेंट, इलाहबाद, चुघ पब्लिकेशंस, 1990.

सिंह, शकुन्तला : ग्राम रूट पॉलिटिक्स एंड पंचायत राज, नई दिल्ली, दीप एंड दीप पब्लिकेशंस, 1994.

सिसोदिया, वाई.एस. : पंचायती राज एवं अनूसूचित जाति महिला नेतृत्व, जयपुर पब्लिशिंग हाऊस, 1978.

सिंह, आर.पी. : अनूसूचित जाति के विधान मण्डलीय अभिजन, दिल्ली, मित्तल पब्लिकेशंस, 1989

कश्यप, सुभाष : हमारा संविधान, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इण्डिया, दिल्ली, 1996.
चोपड़, डॉ. सरोजः स्थानीय प्रशासन, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2000.
भट्ट, राजेन्द्र शंकर : संविधान शंकाएँ और सम्भावनाएँ, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 2000.
वैज्ञानिक तथा तकनीकि शब्दावली आयोग : प्रशासनिक शब्दावली, 2004.
जोन्स मोरिस : द गवर्नमेन्ट एंड पॉलिटिक्स इन इण्डिया, दा इथोन प्रेस, न्यूजीलेण्ड, 1964.
एम.बैंकट रमैया तथा राय रेड्डी जी, ' पंचायत राज इन ऑन्ध्रप्रदेश' स्टेट चेम्बर ऑफ पंचायती राज, हैदराबाद, 1967
कोठारी रजनी 'कास्ट इन इण्डियन पॉलिटिक्स' ओरियण्ट लोंगमन प्रा. लि., हैदराबाद, 1970
चक्रवर्ती के. एवं भट्टाचार्य एस.के, 'लीटरशिप फैक्संस एवं पंचायती राज' रावत पब्लिकेशन, जयपुर 1993
पायली एम. वी. ''भारतीय संविधान– एक परिचय'' विकास पब्लिकेशन हाऊस, प्रथम हिन्दी संस्करण, 1996
मल पूरण 'पंचायती राज एवं दलित नेतृत्व', आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर 2004
शोखावत भैरोंसिंह, 'आम आदमी और लोकतंत्र', प्रभात प्रकाशन,नई दिल्ली, 2009
राजपूत बृजेश, 'चुनाव, राजनीति और रिपोर्टिंग', शिवना प्रकाशन सिहोर, 2013
कुमार विनीत, 'मंडी में मीडिया', वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2014
मिश्र रविन्द्र नाथ, 'मीडिया और लोकतंत्र', वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2014

शोध पत्रिकाएँ

आऊट लुक, नई दिल्ली
इण्डिया टुडे, नई दिल्ली
क्रॉनिकल, नई दिल्ली
पॉलिटिकल साइंस रिव्यू, जयपुर
प्रतियोगिता दर्पण, आगरा
वर्ल्ड अफेयर्स, :नई दिल्ली
वर्ल्ड फोकस, नई दिल्ली

प्रमुख समाचारपत्र

जनसत्ता, नई दिल्ली
द टाइम्स ऑफ इण्डिया : नई दिल्ली
दैनिक जागरण : नई दिल्ली
दैनिक भास्कर : जयपुर
पंजाब केसरी : नई दिल्ली
राष्ट्रीय सहारा : नई दिल्ली
राजस्थान पत्रिका : जयपुर
हिन्दुस्तान टाइम्स :नई दिल्ली